प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 00571/2022-2023

दिनांक 15/06/2022

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/SON/03996/2022-2023 पत्रावली संख्या:V-43862 दिनांक:2011-2012

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि साई शिक्षा समिति, ग्रा0 चचोखरा, पो0 चन्दूगंज, थाना राबर्ट्सगंज, जिला-सोनभद्र, उ.प्र. **231213**, सोनभद्र, **231213** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1875/2011-12 दिनांक-28/12/2011 को दिनांक-28/12/2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1200 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(SANTOSH KUMAR SINGH)
E04CA903373B698750E71464E71BC6EDA01D3910
Date: 15/06/2022 4:24:51 PM, Location: Varanasi.

जारी करने का दिनांक-15/06/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AB 718173

[illegible]

[illegible]

[illegible]

कार्यालय सहायक निबन्धक सोसाइटी उ०प्र० वाराणसी [illegible]

सत्यमेव जयते

कृते सहा[illegible] निबन्धक
फर्म्स सोसाइटी[illegible] एवं [illegible]
वाराणसी
[illegible]

नियमावली

1. संस्था का नाम : साई शिक्षा समिति
2. संस्था का पता : ग्रा0 पचोखर, पो0 पन्नूगंज, चतरा, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग -

संस्था की सदस्यता निम्नवत होगी ।

अ- सामान्य सदस्य : वे व्यक्ति जो संस्था को 101/- रु0 वार्षिक सदस्यता शुल्क के रुप में जमा करेगें, वे संस्था का सामान्य सदस्य होगें ।

ब- आजीवन सदस्य : वे व्यक्ति जो संस्था को 1001/-रु0 नगद धनराशि या उससे अधिक मूल्य की चल अचल सम्पत्ति एक बार में देगें, वे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेगें ।

5. सदस्यता की समाप्ति : निम्न तथ्यों के आधार पर संस्था की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी ।

1. किसी सदस्य के मृत्यु होने पर ।
2. किसी सदस्य के पागल या दिवालिया होने पर ।
3. किसी सदस्य के न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।
4. किसी सदस्य के स्वयं लिखित त्याग-पत्र देने पर ।
5. किसी सदस्य के संस्था के विरुद्ध हानिकारक कार्य करने पर ।
6. किसी सदस्य के निर्धारित शुल्क जमा न करने पर ।
7. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर ।

Pankaj Kumar
सूर्यवती
बैजनाथ
देवमुनि
शैलादेवी

कार्यालय सहायक निबन्धक सोसाइटी वाराणसी के मण्डल वाराणसी
सत्यमेव जयते

6. संस्था के अंग : संस्था के दो अंग होगें -

अ- साधारण सभा ब- प्रबंधकारिणी समिति

7. साधारण सभा :

अ- गठन : संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर नियमावली के कालम नं0 चार के अनुसार साधारण सभा का गठन किया जायेगा ।

ब- बैठकें : साधारण सभा के सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।

स- सूचना अवधि : साधारण सभा के सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 15 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना

सत्य प्रतिलिपि

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

बैठक से 3 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी ।

द- गणपूर्ति : संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों के कम से कम 2/3 उपस्थिति में साधारण सभा के सभी बैठकों की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी ।

य- वार्षिक अधिवेशन : संस्था का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार किसी समय हर वर्ष हुआ करेगी ।

र- साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. संस्था के गत वर्ष के बजट एवं कार्यकलापों आदि पर विचार करना तथा आगामी वर्ष के लिये स्वीकृति प्रदान क रना ।
2. प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव करना ।
3. प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव पर विचार कर उसे स्वीकृत करना ।
4. संस्था के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन हेतु स्वीकृत प्रदान करना ।

8. प्रबंधकारिणी समिति :-

अ- गठन : साधारण सभा के 2/3 बहुमत से प्रबंधकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंधक/सचिव, उपप्रबंधक/उपसचिव, कोषाध्यक्ष, व 5 सदस्य होगें ।

ब- बैठकें : प्रबंधकारिणी समिति के सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार तथा विशेष आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।

स- सूचना अवधि : प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 15 दिन पूर्व सभी सदस्यो को लिखित रूप से दी जायेगी ।

द- गणपूर्ति : प्रबंधकारिणी समिति के सभी सदस्यों, पदाधिकारियों के कम से कम दो तिहाई उपस्थिति में सभी बैठकों की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी ।

य- रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबंधकारिणी समिति में किसी भी पदाधिकारी या सदस्य का स्थान रिक्त होने पर साधारण सभा के बहुमत से शेष अवधि के लिये साधारण सभा सदस्यों में से किसी भी योग्य व्यक्ति का चुनाव शेष अवधि के लिये कर

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता

मिलान कर्ता

लिया जायेगा परन्तु प्रबंधक/सचिव का अनुमोदन लेना आवश्यक होगा ।

८- **प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-**

1. संस्था के बजट पर विचार करना तथा उसे स्वीकृत करना ।
2. संस्था को सुचारु रुप से संचालित करने हेतु उपसमितियों का गठन करना ।
3. संस्था के लिये ऋण, अनुदान, दान, चन्दे आदि को प्राप्त करना ।
4. संस्था के चल-अचल सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा देख-रेख करना ।
5. वैतनिक कर्मचारियों के लिये नियुक्ति, विमुक्ति आदि के लिये निर्णय लेना ।
6. अन्य सभी कार्यों का संचालन करना जो संस्था के हित में आवश्यक हो ।

कार्यकाल : प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल सामान्य रुप से 5 वर्ष का होगा ।

9. **प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-**

अध्यक्ष :-
1. बैठक करने के लिये प्रबंधक/सचिव के राय से दिनांक का अनुमोदन करना तथा उसमें परिवर्तन करना ।
2. संस्था के साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी समिति के बैठक की अध्यक्षता करना ।

उपाध्यक्ष :- अध्यक्ष के न रहने पर उनके कार्यों को देखना ।

प्रबंधक/सचिव :-
1. संस्था के लिये अनुदान, दान, चन्दे एवं सदस्यता शुल्क आदि को प्राप्त करना तथा उसके लिये यथाविधि रसीदे देना ।
2. आवश्यकतानुसार सामान्य एवं विशेष आवश्यक बैठक बुलाना कोरम के अभाव में बैठक स्थगित करना ।
3. संस्था से सम्बन्धित कागजात पर एवं प्रपत्रों आदि पर हस्ताक्षर कर उसे जारी करना ।
4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, विमुक्ति करना व वेतन, वेतनवृद्धि तथा अन्य देय धनराशि आदि का भुगतान स्वीकृत करना ।
5. वैतनिक कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना ।
6. संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना ।
7. अदालती कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करना ।

सत्य प्रतिलिपि
कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि
निशान

8. संस्था के हित में आवश्यक सुझाव व निर्देश देना ।

9. किसी भी विचारणीय विषय पर समान मत होने पर एक अलग से निर्णायक मत देना ।

10. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगें ।

उपप्रबंधक/उपसचिव :- प्रबधंक/सचिव के अनुपस्थिति में उनके निर्देशो का पालन करना ।

कोषाध्यक्ष :-

1. संस्था के निधियों एवं सम्पत्तियों के लेखे को तैयार करना ।
2. संस्था के आय-व्यय का हिसाब-किताब तैयार करना ।

10. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रकिया :-

साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत से संस्था के नियम एवं विनियमों में नियमानुसार संशोधन हेतु प्रबंधक/सचिव द्वारा प्रस्ताव लाया जायेगा ।

11. संस्था का कोष :- किसी भी बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर संस्था की समस्त धनराशि को जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबंधक/सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त के हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा ।

12. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) :-

संस्था के वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रबंधकारिणी समिति द्वारा नियुक्त आय-व्यय निरीक्षक द्वारा संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण 'आडिट' कराई जायेगी ।

13. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व :-

संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध लगाये गये अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण दायित्व प्रबंधक/सचिव पर होगा ।

14. संस्था के अभिलेख :- संस्था के अभिलेख निम्नलिखित होगा ।

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. सदस्यता रजिस्टर
3. स्टाक रजिस्टर
4. कैश बुक आदि होंगें ।

15. संस्था का विघटन :- संस्था के विघटन तथा उसके विघटित सम्पत्ति निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी ।

<u>सत्य-प्रतिलिपि</u>

सत्य प्रतिलिपि

प्रतिलिपि कर्ता

मिलान कर्ता

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 38AB 718172

[illegible] 043862 [illegible]

कार्यालय सहायक निबन्धक सोसाइटी उ०प्र० • वाराणसी मण्डल वाराणसी • सत्यमेव जयते

कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी
29/12/1

स्मृति - पत्र

1. संस्था का नाम : साई शिक्षा समिति
2. संस्था का पता : ग्रा0 पचोखर, पो0 पन्नूगंज, चतरा, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था का उद्देश्य : संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

1. बालक/बालिकाओं के शैक्षिक विकास के लिए नर्सरी, प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट विद्यालय और स्नातक-स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अरबी, फारसी, उर्दू मदरसे की स्थापना तथा उसका संचालन करना ।
2. नवीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार सभी विषयों एवं भाषाओं का समुचित व्यवस्था करना ।
3. बालक/बालिकाओं के लिये तकनीकी, योग, कृषि व व्यवसायिक शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा एवं ग्रामोद्योगिक शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना व संचालन करना ।
4. बालिकाओं, युवतियों एवं महिलाओं के विकास एवं उत्थान के लिये सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, कताई, पेन्टिंग, मेकप, ब्यूटीपार्लर व टाईपिंग, शार्टहैण्ड व माडलिंग, फैशन डिजायनिंग, खिलौना बनाना, मेंहदी, हाथ की कढ़ाई, फ्लावर मेंकिंग, गुलदस्ता डिजाइनिंग, जरदोजी, हैण्डीकाफ्ट, एप्लीक एवं पैंच, मशीन से कढ़ाई, ज्वेलरी मेकिंग, फैब्रिक पेण्टिंग, पॉट पेण्टिंग, ग्लास पेण्टिंग, साफ्ट ट्वायज का शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।
5. विज्ञान, चिकित्सा एवं कृषि के क्षेत्र में शोध करना तथा चैरिटेबल स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं परिवार नियोजन, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु कल्याण हेतु कार्य करना ।
6. निर्धन, असहाय तथा मेधावी छात्र छात्राओं को पुस्तकीय सहायता तथा छात्रवृत्ति की सुविधायें उपलब्ध कराना ।
7. पुस्तकालय एवं वाचनालय की निःशुल्क व्यवस्था करना ।
8. बालक/बालिकाओं के लिये कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर की जानकारी प्रदान करना व शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं नये साफ्टवेयर का विकास करना ।
9. प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा व बाल शिक्षा केन्द्रों को स्थापित एवं संचालित कर अशिक्षित जनता को शिक्षित करना ।
10. बेरोजगार शिक्षित लड़को एवं विकलांगों को आर्थिक रुप से स्वावलम्बी बनाने के लिये प्रशिक्षण एवं शिक्षण कार्यकमों का प्रचार-प्रसार करना ।

ज्योति मौर्या
प्रमोद कुमार
Dhurushil
देवमुनि
...ता देवी

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलानकर्ता

11. सरकारी एवं बौद्धिक क्षमता के अनुरुप शारीरिक, नेत्रहीन, अस्थि विकलांग एवं मुकबधीर एवं मानसिक विकलांगों के लिये विशेष विद्यालय के साथ-साथ आवश्यकतानुसार एकीकृत व्यवस्था के तहत शिक्षण - प्रशिक्षण एवं पुनर्वासन प्रदान करना ।

12. पर्यावरण प्रदूषण व प्रदूषण नियंत्रण के प्रति लोगों में जागरुकता पैदा करना एवं वृक्षारोपड़ कार्यकम को बढ़ावा देना ।

13. समाज के विभिन्न वर्गो से निष्कासित तलाकशुदा, वृद्ध, विधवा निराश्रित महिलाओं, बालक/बालिकाओं के रख-रखाव एवं देख रेख शिक्षण-प्रशिक्षण, पुनर्वास की व्यवस्था संबंधित कल्याणकारी विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना ।

14. समाज मे व्याप्त भयंकर बिमारियों जैसे-एड्स, टी0बी0, पोलियों, मलेरिया, तपेदिक, कुष्ठ रोग हैपीटाइटिस बी व संकामक बिमारियों से बचाने हेतु प्रचार-प्रसार एवं स्वास्थ्य विभाग से सहयोग प्राप्त कर उद्देश्यों की पूर्ति में लगाना ।

15. समाज कल्याण विभाग, तथा केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, सिप्सा, कपार्ट, नावार्ड, नरेगा, सिडवी, सूडा, डूडा, खेल मंत्रालय, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित बाल एवं महिला कल्याणकारी कार्यकमों का प्रचार-प्रसार करना ।

16. राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कलस्टर विकास योजना को संचालित व प्रचार-प्रसार करना और वैकल्पिक सौर्य ऊर्जा पर कार्य करना ।

17. महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण लघु ग्राम उद्योग, गृह उद्योग की स्थापना करना एवं स्वयं सहायता समूह का गठन करना ।

18. ग्रामीण-रोजगार एवं विकास कार्य हेतु कृषि, पशुपालन, बागवानी, भूमापक, रेशम कीट पालन, दरी कालीन, मत्स्य पालन, कुटकुट पालन, मशरुम खेती, जेस्टोफा पौधे, पुष्प, मधु मक्खी पालन, फलसंरक्षण, जल संरक्षण, पिसा मसाला, आदि का प्रशिक्षण व विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना व पापड़, अगरबत्ती, मोमबत्ती, अचार बनाने का प्रशिक्षण देना एवं उन्हे प्रोत्साहित करना ।

19. निःशुल्क चिकित्सालयों, पुनर्वास केन्द्र, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों, कुष्ठ आश्रम, वृद्धा सेवा एवं विधवा सेवा आश्रम की व्यवस्था करना व नेत्र जॉच शिविरों तथा आपरेशन शिविरो का आयोजन करना ।

सत्य प्रतिलिपि

निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

5. प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों का नाम, पिता, पति का नाम, पता व्यवसाय तथा पद जिनको संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया ।

क0 सं0	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	झगडू सिंह पुत्र स्व0 शिवधन सिंह	ग्रा0 बभनी, पो0 रामगढ़, सोनभद्र	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	ज्योति मौर्या पुत्री सत्य नारायण सिंह	ग्रा0 सलइयाँ, पो0 राबर्ट्सगंज, सोनभद्र	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3.	आनन्द कुमार पुत्र श्री झगडू सिंह	ग्रा0 बभनी, पो0 रामगढ़, सोनभद्र	प्रबंधक/ सचिव	समाजसेवा
4.	प्रमोद कुमार पुत्र श्री झगडू सिंह	ग्रा0 बभनी, पो0 रामगढ़, सोनभद्र	उपप्रबंधक/ उपसचिव	कृषि
5.	धनशीला देवी पत्नी श्री आनन्द कुमार	ग्रा0 बभनी, पो0 रामगढ़, सोनभद्र	कोषाध्यक्ष	कृषि
6.	पंकज कुमार पुत्र श्री विजय कुशवाहा	ग्रा0 व पो0 राबर्ट्सगंज, सोनभद्र	सदस्य	कृषि
7.	सूर्यवती पत्नी श्री अछैबर	ग्रा0 धरमीपुर, पो0 पिपरी, सोनभद्र	सदस्य	कृषि
8.	बैजनाथ पुत्र श्री अलगू	ग्रा0 पचोखर, पो0 पन्नूगंज, सोनभद्र	सदस्य	कृषि
9.	देवमुनी पुत्र श्री रामबालक	ग्रा0 व पो0 अक्छोर, सोनभद्र	सदस्य	कृषि
10.	शैला देवी पत्नी श्री बिन्दू कुशवाहा	8/45 ए, शिवपुर गॉव, शिवपुर, वाराणसी	सदस्य	कृषि

सहायक निबन्धक कार्यालय ... सत्यमेव जयते ... वाराणसी

6. हम निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता उपर्युक्त स्मृति - पत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजि0 अधिनियम की धारा 21 सन् 1860 के अन्तर्गत पंजीकरण कराना चाहते है ।

आनन्द कुमार
झगडू सिंह
ज्योति मौर्या
प्रमोद कुमार
Dhanshila
Pankaj Kumar
सूर्यवती

बैजनाथ
देवमुनि
शैला देवी

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता ....
मिलान कर्ता ....